



दि प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिल
(भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL

(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या.: प्लेक्स/सीआईआर/717

24.10.2024

प्रति,

प्लेक्सकौन्सिल के सभी सदस्य/

सीओए सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय: "अंतर्राष्ट्रीय कानूनी रूप से बाध्यकारी साधन (ILBI) विकसित करने के लिए अंतर-सरकारी वार्ता समिति (INC) में चर्चा के तहत मुद्दों पर तत्काल इनपुट।

हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि प्लास्टिक प्रदूषण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी रूप से बाध्यकारी साधन (ILBI) विकसित करने के लिए अंतर-सरकारी वार्ता समिति (INC) के भीतर चल रही वार्ता पर चर्चा करने के लिए रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विभाग के **संयुक्त सचिव (पेट्रोकेमिकल्स) की अध्यक्षता में 25.10.2024** को एक बैठक निर्धारित की गई है।

इस संबंध में भविष्य में उन्मूलन या चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए संधि में चर्चा के तहत चिंता के प्लास्टिक उत्पादों और रसायनों को प्रस्तुति और एक्सेल शीट में साझा किया गया है।

- **प्लास्टिक के संबंध में चर्चा के तहत कुछ मुख्य मुद्दे हैं:**
- परिहार्य और समस्याग्रस्त प्लास्टिक
- चिंताजनक रसायन
- उत्पाद डिजाइन
- प्राथमिक और द्वितीयक पॉलिमर की आपूर्ति
- परिहार्य और समस्याग्रस्त प्लास्टिक

कृपया चर्चा से बाहर रखे गए उत्पादों को दिए गए पीपीटी के पेज नंबर 6 और 8 में देखें।

· चिंताजनक रसायन

कृपया चिंताजनक रसायन को दिए गए पीपीटी के पेज नंबर 9 में देखें।

प्रस्तुति के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए यहाँ क्लिक करें।

संकलन की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए यहाँ क्लिक करें।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे भविष्य में प्लास्टिक उत्पादों और चिंताजनक रसायन पर किसी भी तरह के प्रतिबंध या उन्मूलन के परिणामी प्रभाव के बारे में परिषद को ईओडी तक bharti@plexconcil.org और anirudha@plexconcil.org पर सूचित करें।

सादर अभिवादन,
भारती पारावे
उप निदेशक – व्यापार एवं नीति
प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परिषद